

पत्र संख्या :- प्र०स०को०-107/2011 (नयाचार-07)

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
(नयाचार शाखा)

प्रेषक,

अफ़ज़ल अमानुल्लाह,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक,
सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
सभी अनुमंडल पदाधिकारी

पटना-15, दिनांक जनवरी, 2011

विषय :- गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस समारोह पर झण्डोत्तोलन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के परिपत्र संख्या-2195, दिनांक-02.08.1991 एवं परिपत्र संख्या-906, दिनांक 12 अगस्त 2000 में आंशिक संशोधन करते हुए परिपत्र की कंडिका 7 को निम्न प्रकार संशोधित कर प्रतिस्थापित किया जाता है :-

“ 7. (क) गणतंत्र दिवस एवं स्वंत्रता दिवस समारोह में पटना को छोड़कर अन्य प्रमंडलो तथा जिला मुख्यालयों में उस जिला के मंत्री/राज्यमंत्री झण्डोत्तोलन करेगे जो उस जिला के विधायक हैं।

(ख) अगर किसी जिला से दो या उससे अधिक मंत्री वहां के विधायक हो तो ऐसी स्थिति में झण्डोत्तोलन के लिए मुख्यमंत्री एक मंत्री को नामित करेगें। ”

2. यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

(अफ़ज़ल अमानुल्लाह)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापक :- प्र०स०को०-107/2011 पटना-15, दिनांक जनवरी, 2011

प्रतिलिपि :- ब्रिगेडियर प्रभारी, बिहार एण्ड उड़ीसा सब एरिया दानापुर कैन्ट सूचनार्थ अग्रसारित।

2. कृपया प्राप्ति सूचना इस विभाग को दें।


ह0/-

(अफ़ज़ल अमानुल्लाह)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- प्र०स०को०-107/2011 73/प्र०स०को० पटना-15, दिनांक 18 जनवरी, 2011

प्रतिलिपि :- राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के सचिव/सभापति, बिहार विधान परिषद के आप्त सचिव/अध्यक्ष बिहार विधान सभा के आप्त सचिव/सभी मंत्रियों के आप्त सचिव/उपाध्यक्ष बिहार विधान सभा के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के सचिव/ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/ अधीष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना/दूरदर्शन, पटना/निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।



(अफ़ज़ल अमानुल्लाह)
सरकार के प्रधान सचिव